भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर
Indian Institute of Management Amritsar

वार्षिक प्रतिवेदन 2017 - 18

अनुक्रमणिका

अ. क्र.	विषय	पृष्ठ सं.
1	संस्थान की गतिविधियों पर प्रतिवेदन	1-11
2	वार्षिक लेखा प्रतिवेदन	12-53

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर
Indian Institute of Management Amritsar

संस्थान की गतिविधियों पर प्रतिवेदन

पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (पीजीपी) के तृतीय बैच का उद्घाटन

पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (पीजीपी) के तृतीय बैच का उद्घाटन 10 जुलाई 2017 को संपन्न हुआ। पीजीपी बैच 2017-2019 की कक्षाओं का प्रारंभ 14 जुलाई 2017 से हुआ। उद्घाटन समारोह में श्री संजय गुप्ता, सीईओ एवं निदेशक, जागरण प्रकाशन लिमिटेड तथा अध्यक्ष, आईआईएम अमृतसर सोसाइटी और शासी मंडल उपस्थित थे। इसके पश्चात आईआईएम अमृतसर के पीजीपी अध्यक्ष्या प्रो. गीता ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर प्रो. कुलभूषण बलूनी, संरक्षक निदेशक, आईआईएम अमृतसर, प्रो. ए.के. स्वैन, नोडल प्रोफेसर, आईआईएम अमृतसर ने इस अवसर पर बात की। पीजीपी बैच 2017-19 की कक्षाएं 14 जुलाई, 2017 को शुरू हुईं।

प्रवेश विवरण

पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (पीजीपी) के तृतीय बैच मे, कुल 96 छात्रों को प्रवेशित किया गया। एक छात्र पंजीकरण के बाद शिक्षा कार्यक्रम को छोड़ गया। तृतीय बैच की वर्तमान प्रवेश संख्या 95 छात्रों की है।

पीजीपी तृतीय बैच के छात्रों की विवरण

अ. क्र.	प्रवर्ग	छात्र संख्या	प्रतिशत
1	सामान्य	34	35.42
2	गैर-प्रगत ओबीसी (एनसी-ओबीसी)	27	28.13
3	अनुसूचित जाती	15	15.63
4	अनुसूचित जनजाती	13	13.54
5	दिव्यांग (पीडब्लूडी)	7	7.29
	कुल योग	96	100

अ. क्र.	लिंग	छात्र संख्या	प्रतिशत
1	पुरुष	75	78.13
2	महिला	21	21.88

अ. क्र.	कार्य अनुभव	छात्र संख्या	प्रतिशत
1	नवागत	53	55.21
2	<12 महीने	9	9.38
3	12-23 महीने	12	12.50
4	24-36 महीने	17	17.71
5	>36 महीने	5	5.21

अ. क्र.	शिक्षा विभाग	छात्र संख्या	प्रतिशत
1	अभियांत्रिकी	71	73.96
2	व्यवसाय / प्रबंध	3	3.13
3	वाणिज्य	10	10.42
4	विज्ञान	8	8.33
5	कला	4	4.17
	कुल योग	96	100

शैक्षणिक रिपोर्ट/प्रतिवेदन

1. पीजीपी के द्वितीय बैच का सत्र IV का समापन 28 अगस्त, 2017 को हुआ।
2. पीजीपी के द्वितीय बैच का सत्र V कि शुरुवात 06 सितंबर, 2017 को हुई। पीजीपी के द्वितीय बैच के छात्रों को निम्नलिखित 16 ऐच्छिक प्रस्तुत किए गये है।

अ. क्र.	पाठ्यक्रम शीर्षक	प्रशिक्षक	संबद्धता
1	परियोजना वित्त	प्रो. पद्मलता सुरेश	परामर्शदाता, चेन्नई
2	विलय, अधिग्रहण और कॉर्पोरेट पुनर्गठन	प्रो. सुंदर राम कोरिवी	संकाय सदस्य, एनआईएसएम मुंबई
3	नियत आय प्रतिभूतियां	प्रो. गोलका सी. नाथ	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सीसीआईएल, मुंबई
4	बिक्री और वितरण प्रबंध	प्रो. जी. श्रीधर	संकाय सदस्य, आईआईएम कोझीकोड
5	उन्नत विपणन अनुसंधान	प्रो. अरुण के. कौशिक	संकाय सदस्य, आईआईएम अमृतसर
6	सोशल मीडिया एवं इंटरनेट मार्केटिंग	प्रो. प्रशांत मिश्रा	संकाय सदस्य, आईआईएम कलकत्ता
7	ग्रामीण विपणन	प्रो. सनल कुमार वेलायुधन	संकाय सदस्य, आईआईएम कोझीकोड
8	नीति कार्यान्वयन	प्रो. अंशुमान त्रिपाठी	संकाय सदस्य, एक्सआईएम भुवनेश्वर
9	सामरिक गठबंधन, संयुक्त उद्यम एवं कॉर्पोरेट विकास	डॉ. शिव शंकर त्रिपाठी	संकाय सदस्य, एमडीआई गुड़गांव
10	परियोजना प्रबंध	प्रो. अशोक पंजवानी	संकाय सदस्य, एमडीआई गुड़गांव
11	सेवा संचालन प्रबंध	प्रो. अमित सचान	संकाय सदस्य, आईआईएम रांची

12	भर्ती और चयन	प्रो. मनोरंजन धल	संकाय सदस्य, आईआईएम कोझीकोड
13	प्रतिफल और इनाम प्रबंध	प्रो. मनोरंजन धल	संकाय सदस्य, आईआईएम कोझीकोड
14	कार्य प्रदर्शन प्रबंध	प्रो. सूर्य प्रकाश पति	संकाय सदस्य, आईआईएम कोझीकोड
15	बिग डेटा एनालिटिक्स	प्रो. मो. शाहिद अब्दुल्ला	संकाय सदस्य, आईआईएम कोझीकोड
16	रचनात्मक समस्या समाधान और निर्णयण	प्रो. ए के स्वैन / प्रो. जी श्रीधर	संकाय सदस्य, आईआईएम कोझीकोड

निर्धारित संकाय भर्ती प्रक्रिया के अनुसार अनुबंध के आधार पर नए संकाय सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

1. प्रो. रिधि अरोरा, सहायक प्रोफेसर, संगठनात्मक व्यवहार एवं मानव संसाधन (कार्यभार ग्रहण तिथि: 21/08/2017)
2. प्रो महिमा गुप्ता - सहायक प्रोफेसर, मात्रात्मक विधियां एवं संचालन प्रबंध (कार्यभार ग्रहण करने की तिथि: 18/09/2017)

आईआईएम अमृतसर ने अपने वार्षिक एचआर सम्मेलन, युक्ति-2017 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

आईआईएम अमृतसर ने अपने वार्षिक एचआर सम्मेलन, युक्ति-2017 के दूसरे संस्करण का आयोजन 19 अगस्त 2017 को सफलतापूर्वक किया। सम्मेलन का विषय 'पुनर्परिभाषित कार्यस्थल' था, जिसमे कार्यस्थल पर सहभागिता और विविधता कि एकीकरण इन दो उप-विषयों पर चर्चा की गई।

इस आयोजन को प्रतिष्ठीत उद्योग दिग्गजों की उपस्थिति मे किया गया था। पैनल को दो भागों में विभाजित किया गया था।

डॉ. रितु आनंद (वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं ग्लोबल एचआर के उप प्रमुख, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस), श्री ए.के. मुंजाल (उपाध्यक्ष एचआर, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड), डॉ. वी.पी.सिंह (सलाहकार, संगठन विकास, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड), श्री दीपक भरारा (मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, लैंको इंफ्राटेक लिमिटेड), सुश्री ज्ञान शाह (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, व्यवसाय, एचआर प्रमुख, एम्फैसिस लिमिटेड), और श्री विजय भास्कर (प्रक्रिया नियंत्रण प्रमुख, लाइफस्प्रिंग हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड) यह पहले पैनल में सहभागी थे। **पहले पैनल का संगोष्ठी का विषय 'पुनर्परिभाषित कार्यस्थल – कार्य के अवसर' यह था।**

उद्घाटन भाषण के बाद, आईआईएम अमृतसर के छात्रों के दो समूहों ने वास्तविक समय के नमूने डेटा और कार्यस्थल के विभिन्न आयामों जैसे कल्याण, जुड़ाव, नवाचार, विविधता, समावेश, लचीलापन और प्रेरणा द्वारा समर्थित अपनी प्रस्तुतियों को प्रदर्शित किया।

पहले पैनल का संचालन का डॉ. वी.पी. सिंह ने परिनियमन किया और प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति को इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया।

वक्ताओं ने दर्शकों को बंधन (बॉन्ड) और सहभागिता (एंगेजमेंट) के अर्थों में अंतर पर अवगत कराया और अपना दृष्टिकोण रखा। प्रत्येक पैनल ने सहभागिता की अवधारणा के विकसित होने के तरीकों, उद्योगों में विभिन्न स्तरों पर सहभागिता को बढ़ाने और कम करने की चुनौतियों, कंपनियों की सफलता की कहानियों और उनके द्वारा सहभागिता को अपनाने के तरीके, बिजनेस के परिणाम के साथ जुड़ाव के संबंध का वर्णन किया, और पिछले 75 वर्षों के भारतीय परिपेक्ष में सहभागिता की भूमिका, और 2022 में, जब डेटा ईंधन होगा और लोग इंजन होंगे, तब भारतीय परिपेक्ष में सहभागिता की भूमिका पर चर्चा की।

दूसरे पैनल में मीनालोचानी कुमार (वरिष्ठ निदेशक और वैश्विक डिज़ाइन लीड-लीडरशिप और सदरलैंड ग्लोबल में कार्यकारी विकास), सुश्री शिल्पी सक्सेना (प्रमुख, एचआर और एलएंडडी, कुर्लोन लिमिटेड), श्री प्रेम सिंह (अध्यक्ष, ग्लोबल एचआर, वॉकहार्ट लिमिटेड) श्री विजय देशपांडे (उपाध्यक्ष और प्रमुख मानव संसाधन, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड), श्री राजा रेड्डी (विपणन प्रमुख, सरवियर) सहभागी थे। पहले पैनल का संगोष्ठी का विषय **'कार्यस्थल पर विविधता का एकीकरण'** यह था।

पहले पैनल जैसे ही के समान, आईआईएम अमृतसर के दो समूहों ने व्यापक शोध और विश्लेषण द्वारा समर्थित अपनी प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया।

स्वागत के बाद, श्री राजा रेड्डी द्वारा परिनियमित पैनल ने एक के बाद एक करके विषय पर चर्चा की और कार्यस्थल में विविधता के महत्व पर प्रकाश डाला, जो विभिन्न संस्कृतियों का एकीकरण करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है।

इसके अलावा, समावेशता, विविधता और समानता जैसे परस्परसंबंधी शब्दों को समझाया गया, विभेदित किया गया और अंत में संगठन के विकास के लिए संचालक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

छात्रों को अपने संबोधन में, पैनल ने विविधता के संबंध में लागतों पर भी चर्चा की और विविधता और समानता का समावेश करने के संबंध में समग्र लाभों की तुलना की गई। साथ ही, नवोन्मेष की मदद से विविधता को बढ़ावा देने के विभिन्न तरीकों जैसे सामाजिक सहयोग, टीम आधारित गतिविधियों और विकेंद्रीकृत सहकर्मी से सीखने आदि को भी महत्व दिया गया।

आईआईएम अमृतसर ने अपने वार्षिक एचआर सम्मेलन **'युक्ति 17'** के दूसरे संस्करण के अभूतपूर्व समापन से संस्थान की कीर्ति मे महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया।

- **पीजीपी03 बैच का द्वितीय सत्र** 5 अक्टूबर 2017 को शुरू हुआ। इन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने वाले पाठ्यक्रमों और संकाय का विवरण नीचे दिया गया है।

पाठ्यक्रम	प्रशिक्षक	संबद्धता
वित्तीय प्रबंध- ।	प्रो. सतीश कुमार	आईआईएम अमृतसर
व्यावसायिक नैतिकता	प्रो. श्वेता श्रीवास्तव मल्ला	आईआईएफटी नई दिल्ली
प्रबंध लेखा- ॥	प्रो के के रमेश	सहायक संकाय, आईआईएम कोझिकोड
व्यापार विधि	प्रो. सेबेस्टियन थरकन	आईआईएम कोझीकोड
संचालन अनुसंधान	प्रो महिमा गुप्ता	आईआईएम अमृतसर
संचालन प्रबंध- ।	प्रो. रोहित कपूर	आईआईएम इंदौर
समष्टि अर्थशास्त्र	प्रो. विपुल माथुर (मध्यावधि पूर्व) प्रो. पार्थ रे (मध्यावधि के पश्चात)	आईआईएम कलकत्ता
संगठनात्मक व्यवहार- ॥	प्रो. रिधि अरोरा	आईआईएम अमृतसर

- **पीजीपी02 बैच का छठवाँ सत्र** 29 नवंबर 2017 को शुरू हुआ। छात्रों को सोलह ऐच्छिक प्रस्तुत किए गये है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

पाठ्यक्रम	प्रशिक्षक	संबद्धता
वित्तीय सेवाओं का प्रबंध	प्रो. नीलम रानी	आईआईएम शिलांग
वित्तीय जोखिम मापन और प्रबंध	प्रो. गोलका सी. नाथ वरिष्ठ	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सीसीआईएल, मुंबई
सामरिक वित्तीय प्रबंध	प्रो. एम. वेंकटेश्वरलू	एनआईटीआईई मुंबई
अंतर्राष्ट्रीय वित्त	प्रो. पी. सी. बिस्वाल	एमडीआई गुडगांव
सामरिक विपणन	प्रो. शरद सरीन	एक्सएलआरआई जमशेदपुर
ग्राहक संबंध प्रबंध	प्रो. आनंदकुट्टन बी. उन्नीथन	बी. आईआईएम कोझीकोड
मूल्य निर्धारण कार्यनीति	प्रो. राहुल सेट	आईआईएम नागपुर
खुदरा प्रबंध कार्यनीति	प्रो. एम. गीता	आईआईएम अमृतसर
उद्यमिता और नव उद्यम	प्रो. प्रबल के. सेन	पूर्व संकाय, एक्सएलआरआई जमशेदपुर
कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सीएसआर	प्रो. के. राजेश्वर राव	परामर्शदाता, बैंगलोर
कार्यनीति का अर्थशास्त्र	प्रो राजेश एस उपाध्याय	आईआईएम कोझीकोड
सिक्स सिग्मा	डॉ. मूर्ति चेबिय्याम	परामर्शदाता
लीन प्रणाली	प्रो. आनंद जी.	आईआईएम कोझीकोड
मोल भाव और संघर्ष समाधान	प्रो. रिधि अरोरा	आईआईएम अमृतसर
प्रशिक्षण एवं विकास	प्रो. लता दयाराम	आईआईटी मद्रास
गेम थेअरी	प्रो सिद्धार्थ रस्तोगी	आईआईएम इंदौर

- संस्थान की **पहली पूर्व-छात्र बैठक** 12 नवंबर 2017 को आयोजित की गई थी।
- **'परिपेक्ष'17'** (वित्त और विपणन सम्मेलन) 11 नवंबर 2017 को आयोजित किया गया था। इस आयोजन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं।

वक्ता	**वक्ता परिचय**	**संगठन**	**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण**
अशोक पाल सिंह	प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकारी	भारतीय डाक पेमेंट्स बैंक	वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत की प्रगती
गगन सिंगला	मुख्य विपणन अधिकारी	एंजेल ब्रोकिंग	
प्रशांत सिंह	सहायक महानिदेशक	यूआईडीएआई	
संजय शारदा	प्रमुख, ग्रामीण वितरण	इंडसइंड बैंक	
पंकज अर्जुनवाडकर	निदेशक, वित्त परिवर्तन	डेलॉइट	
अमित तिवारी	उपाध्यक्ष, विपणन	हैवेल्स इंडिया लिमिटेड	डिजिटल मार्केटिंग क्रांति की नई आवाज
संदीप बालन	प्रमुख, डिजिटल मार्केटिंग	यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड	
सौरव शाह	प्रमुख, डिजिटल मार्केटिंग और सीआरएम	जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड	
समीर सेठ	निदेशक, विपणन	डॉल्बी लेबोरेटरीज	
उत्सव रावत	प्रमुख, विपणन	नोवार्टिस	
डॉ. कुशल संघवी	व्यापार प्रमुख	रिलायंस एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल	

SANKSHETRA'18
The Strategy and Operations Conclave

Pariprekshya'17

प्लेसमेंट की स्थिति

समर (ग्रीष्मकालीन) इंटर्नशिप प्लेसमेंट 2017-18

बड़े कॉरपोरेट संघठनों ने समर (ग्रीष्मकालीन) प्लेसमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से आईआईएम अमृतसर को इस वर्ष में कॉरपोरेट संघठनों से बृहत प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। समर प्लेसमेंट (ग्रीष्मकालीन) प्रक्रिया में भाग लेने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों मे **आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, लार्सन एंड टुब्रो, ग्रुपएम, शॉपक्लूज, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सदरलैंड, मुथूट फिनकॉर्प, वॉलमार्ट, फ्यूचर जेनरली, केनरा एचएसबीसी, डीएचएफएल प्रामेरिका, भारतीय रिजर्व बैंक** इनका समावेश हैं।

- **समर (ग्रीष्मकालीन) इंटर्नशिप कार्यक्रम की प्रारंभ तिथि: 5 अक्टूबर 2017**
- **17 जनवरी 2018 तक कुल छात्र संख्या जिनका प्लेसमेंट हुआ: 80**

अंतिम प्लेसमेंट 2017-18

अंतिम प्लेसमेंट को भी उद्योग जगत से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। अंतिम प्लेसमेंट प्रक्रिया में भाग लेने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों मे **आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, मुथूट फिनकॉर्प, वॉलमार्ट, एक्सेंचर, अमेज़ॅन, मोतीलाल ओसवाल, कैडिला फार्मास्युटिकल्स, एचएफसीएल, क्रिसिल, कैपिटा इंडिया, वर्चुसा पोलारिस, रुस्तमजी, शॉपक्लूज, क्लाइंट एसोसिएट्स, जेके टेक** इनका समावेश हैं:

- **अंतिम प्लेसमेंट कार्यक्रम की प्रारंभ तिथि: नवंबर 2017 का पहला सप्ताह**
- **17 जनवरी 2018 तक कुल छात्र संख्या जिनका प्लेसमेंट हुआ: 60**
- **उच्चतम पैकेज (सीटीसी): रु। 17 लाख प्रति वर्ष**
- **औसत पैकेज (सीटीसी): रु.10.8 लाख प्रति वर्ष**

आईआईएम अमृतसर कैंपस स्थल की स्थिति

भूमि के माध्यम से राजस्व पथ से संबंधित मुद्दे जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) अमृतसर के अधीन हैं। ग्राम राखचीता से संबंधित पथ के हस्तांतरण का संकल्प निदेशक पंचायत के आगे अनुमोदन के लिए डीडीपीओ के पास रखा गया है।

उपायुक्त अमृतसर ने डीडीपीओ अमृतसर को खसरा संख्या 481 के आसपास के भू-स्वामी की सहमति लेकर निज्जरपुरा स्थल की ओर राजस्व पथ के आदान-प्रदान के लिए प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया है। परिसीमा दिवार का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परिसीमा दिवार के पूर्ण लंबाई 3300 मीटर (दीवार की कुल लंबाई) में से 2200 मीटर की लंबाई तक निर्माण पूर्ण किया गया है। अधिरचना का

कार्य 1000 मीटर की लंबाई तक ले लिया गया है। राजस्व मार्ग के मुद्दे के समाधान के अभाव में 500 मीटर लंबी दीवार के भाग को रोक दिया गया है।

<u>कानूनी मामलों की स्थिति</u>

डॉ सास्वत पात्रा के आईआईएम अमृतसर की सेवाओं से उनकी समाप्ति के संबंध में उनके द्वारा मा. दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता श्री एस एस लिंगवाल के माध्यम से दायर रिट याचिका की एक प्रति 1 जनवरी 2018 को प्राप्त हुई थी। डॉ. सास्वत अनुबंध के आधार पर सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे।

<u>संरक्षक निदेशक द्वारा प्रस्तुत गतिविधि प्रगति प्रतिवेदन</u>

संरक्षक निदेशक ने पिछली शासी मंडल के सभा के बाद से संस्थान की गतिविधि और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने प्लेसमेंट गतिविधियों का विवरण दिया और उल्लेख किया कि समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट पूरा होने वाला है और कुछ छात्रों का प्लेसमेंट होना शेष है। अंतिम प्लेसमेंट प्रगति पर है और निश्चित अंतराल पर आयोजित किया जा रहा है। अब तक 70 छात्रों का प्लेसमेंट किया गया है, जो अन्य नए आईआईएम और यहां तक कि आईआईएम की दूसरी बैच के तुलना में सराहनीय है। उन्होंने संस्थान की प्लेसमेंट टीम के प्रामाणिक प्रयासों को उल्लेखित किया। संरक्षकर निदेशक ने शेष छात्रों का प्लेसमेंट करने में, यदि आवश्यक हो, तो कॉर्पोरेट क्षेत्र से संबन्धित शासी मंडल के सदस्यों की सहायता मांगी। जिसपर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह की सहायता दी जाएगी। इस पहल की अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने सराहना की।

संरक्षक निदेशक ने चल रही संकाय भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। अप्रैल 2018 तक सभी 15 स्वीकृत पदों पर नियुक्ति किए जाने की संभावना है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया जैसे कि वर्तमान छात्रों की संख्या 203 है, अतिरिक्त संकाय पदों (5) की मान्यता, स्वीकृत संकाय के अनुसार छात्र अनुपात 1:10 के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

शैक्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सदस्यों श्री विशेष सी चंडीओक, श्री विशेष सी चंडीओक और श्री जयंत डावर के अनुरोध के अनुसार संरक्षक निदेशक द्वारा वर्तमान संगठन संरचना और संकाय और कर्मचारियों की भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में बताया गया। सदस्य जानना चाहते थे कि वे कैसे समझ सकते हैं कि आईआईएम अमृतसर का कार्य आईआईएम के शीर्ष रेटिंग मानकों के अनुरूप है या नहीं। श्री संधर और श्री विशेष सी. चंडीओक ने कहा कि प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के साथ संस्थान के विभिन्न वर्गों के कार्यो को चित्रित करने के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया होनी चाहिए और मंडल को नियमित रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

नोडल प्राध्यापक सी. राजू ने उल्लेख किया कि आंतरिक संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया आईआईएम के कामकाज के सबसे सामान्य प्रमुख मापदंडों के साथ संरेखित करना शुरू हो चुकी है। स्थायी कर्मचारियों (गैर-शैक्षणिक) की भर्ती भी जल्द की जाएगी। जब सभी कर्मियों की नियुक्ति हो जाएगी, तो आंतरिक प्रक्रिया भी स्थिर हो जाएगी। भविष्य में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों और संस्थान के कामकाज की मैपिंग करके आवधिक उद्देश्य रिपोर्टिंग का अनुपालन किया जाएगा।

मंडल ने राष्ट्रीय संस्थागत श्रेणी संरचना (एनआईआरएफ) सहित प्रबंध स्कूलों की रैंकिंग प्रणाली पर भी चर्चा की, जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संस्थान की प्रगति पर ध्यान रखने के लिए एक आधार के रूप में किया गया है। संरक्षक निदेशक ने प्रबंध स्कूलों की रैंकिंग में एनआईआरएफ द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के बारे में बताया। प्रो. आर. के. कोहली ने विश्वविद्यालयों के शोध निष्पती को मापने के विवरण का भी उल्लेख किया। हालांकि, आईआईएम अमृतसर बहुत कम आयु का संस्थान है और इस समय रैंकिंग के लिए नहीं जा रहा है, मंडल की आम राय है कि संस्थान को आकार देते समय रैंकिंग और शीर्ष आईआईएम की तुलना के प्रमुख प्रदर्शन मानकों को ध्यान में रखा जाए।

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

वार्षिक प्रतिवेदन 2017 – 18

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 तक तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

(रुपयों में)

निधि के स्रोत	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
संचित/पूंजी निधि	1	249,269,131.07	113,771,683.08
नामीत / निर्धारित / दान निधि	2	-	-
वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	3	171,463,200.73	124,824,053.55
कुल		**420,732,331.80**	**238,595,736.63**
निधि अनुप्रयोग			
अचल संपत्ति	4		
मूर्त संपत्ति		25,328,673.07	18,826,840.08
अमूर्त संपत्ति		888,010.00	655,621.00
पूंजी कार्य - प्रगति पर		36,014,035.00	4,792,002.00
निवेश - निर्धारित / दान निधि से	5		
दीर्घावधि		-	-
लघु अवधि		-	-
निवेश – अन्य	6	178,600,000.00	-
वर्तमान संपत्ति	7	142,250,587.73	125,078,963.55
ऋण, अग्रिम और जमा	8	37,651,026.00	89,242,310.00
कुल		**420,732,331.80**	**238,595,736.63**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	23		
आकस्मिक देयताएं और खातों के लिए टिपणी	24		

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

प्रो. सी. राजू
नोडल प्रोफेसर

प्रो. देबशिश चैटर्जी
निदेशक – आईआईएमके
संरक्षक निदेशक, आईआईएम अमृतसर

स्थान: कोझीकोड
दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31-03-2018 को वर्ष समाप्ती / अवधि के लिए आय-व्यय लेखा

(रुपयों में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
शैक्षणिक प्राप्तियां	9	89,722,817.00	68,079,400.00
अनुदान / सब्सिडी	10	89,000,577.77	56,297,416.45
अर्जित ब्याज	12	1,465,734.00	1,023,545.00
अन्य आय	13	345,243.00	67,571.00
पूर्व अवधि की आय	14	–	2,593.00
कुल (क)		180,543,371.77	125,470,525.45
व्यय			
स्टाफ भुगतान और लाभ	15	17,229,362.00	7,219,250.00
शैक्षणिक व्यय	16	30,280,501.05	23,648,231.45
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	28,339,753.00	18,981,105.50
परिवहन व्यय	18	2,276,433.00	954,894.00
दुरुस्ती और रखरखाव	19	7,147,434.00	4,434,724.00
वित्तीय खर्च	20	16,248.72	5,930.50
मूल्यह्रास और परिशोधन	4	4,919,676.00	3,903,990.93
पूर्व अवधि के व्यय	22	3,710,836.00	1,144,281.00
कुल (ख)		93,920,253.77	60,201,407.38
व्यय से आय की अधिकता का शेष (क-ख)		86,623,118.00	65,269,118.08
पूंजी निधि खाते से मूल्यह्रास (अचल संपत्ति) का हस्तांतरण		4,919,676.00	3,903,990.92
बैलेंस शीट में आय और व्यय खाते में वहन किया जा रहा अधिशेष		**91,542,749.00**	**69,173,109.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	23		
खातों के लिए टिप्पणी	24		

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

प्रो. सी. राजू
नोडल प्रोफेसर

प्रो. देबशिश चैटर्जी
निदेशक – आईआईएमके
संरक्षक निदेशक, आईआईएम अमृतसर

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र (बैलेंस शीट) का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची '1' : संचित / पूंजी निधि

(रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. संचित निधि		
वर्ष की शुरवात मे शेष	89,497,220.00	103,770.00
निधि में योगदान जोड़ें		
क. वर्ष के दौरान वसूल की गई ऋण राशि	-	-
ख. आय और व्यय खाते से हस्तांतरित राशि	91,542,794.00	69,173,109.00
ग. वर्ष 15-16 के आवर्ती व्यय होने के कारण सहायता अनुदान से हस्तांतरित	-	20,220,341.00
घ. संचित निधि निवेश पर अर्जित ब्याज	5,998,399.00	-
संचित निधि से हस्तांतरित की गई राशि घटाएं		
वर्ष के अंत मे शेष - क	187,038,413.00	89,497,220.00
ख. पूंजी निधि - अचल संपत्ति		
वर्ष की शुरवात मे शेष	24,274,463.07	12,086,313.00
क. वर्ष के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय	42,856,628.00	16,092,141.00
ख. कम: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला मूल्यह्रास	(4,900,373.00)	3,903,990.93
वर्ष के अंत मे शेष - ख	62,230,718.07	24,274,463.07
कुल योग क+ख	249,269,131.07	113,771,683.07

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र (बैलेंस शीट) का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 3: वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान

(रुपयो में)

विवरण	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देनदारियाँ				
क. वापसी योग्य जमा (छात्र)				
i. वर्तमान छात्रों से	5,000,000.00	5,000,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00
ख. अन्य वर्तमान देनदारियाँ				
i. प्रतिधारण राशि	725,989.00		789,308.00	
ii. ईएमडी जमा	156,410.00		150,540.00	
iii. आईआईएम अमृतसर छात्र भोजनगृह खाता देय	2,432,783.00	3,365,182.95	976,020.00	1,917,868.00
iv. छात्र को देय शुल्क	50,000.00		-	
ग. शुल्क एवं कर	(79,294.000)		-	
घ. अन्य वर्तमान देनदारियाँ				
i) स्टेल चेक	7,990.00		-	
ii) वैधानिक देनदारियाँ	5,946.00		-	
iii) अन्य देनदारियाँ	11,358.00	(54,000.000)	-	
कुल (क)		**8,311,182.95**		**5,642,868.00**
ख. प्रावधान				
क. पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान	-		73,634.00	
ख. राजस्व व्यय के लिए प्रावधान	3,765,662.00		1,874,117.00	
कुल (ख)	--	3,765,662.00	--	1,947,751.00
कुल (क+ख)		**12,076,844.95**		**7,590,619.00**

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र (बैलेंस शीट) का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची '3' (ग) : यूजीसी, भारत सरकार और राज्य सरकार से अप्रयुक्त अनुदान

(रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. योजना अनुदान - भारत सरकार		
प्रारम्भिक शेष	117,233,434.55	78,872,,778.00
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ जोड़ें	169,000,000.00	124,700,000.00
ब्याज जोड़ें	5,010,127.00	6,270,555.00
कूल - क	**291,243,561.55**	**209,843,333.00**
वापसी घटाएं	-	-
राजस्व व्यय घटाएं	(89,000,577.77)	(56,297,416.45)
पूँजी व्यय घटाएं	(42,856,628.00)	(16,092,141.00)
लेखापरीक्षा सलाह के अनुसार हस्तांतरण घटाएं	-	(20,220,341.00)
कूल - ख	**(131,857,205.77)**	**(92,609,898.45)**
अग्रेनीत अप्रयुक्त (क+ख)	**159,386,355.78**	**117,233,434.55**

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र (बैलेंस शीट) का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 4: अचल संपती

(रुपयों में)

क्र. स.		कुल संपत्तियाँ				मूल्यह्रास					निवल संपत्तियाँ	निवल संपत्तियाँ
		प्रारंभिक शेष			अंतिम शेष	दर	प्रारंभिक शेष					
	विवरण					एसएलएम के तहत		वर्ष के लिए मूल्यह्रास	घटाव/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास		
	संपत्ति का नाम	1-4-2017	जोड़	घटाव	31-3-2018	प्रणाली	1-4-2017		कटौती		31-3-2018 पर	31-3-2017 पर
1.	विद्युत इन्स्टालेशन और उपकरण	537,311.00	149,400.00	–	686,711.00	5%	53,172.00	34,279.00	–	87,451.00	599,260.00	484,139.00
2.	कार्यालय के उपकरण	574,300.00	--	--	574,300.00	7.5%	83,641.93	42,962.00	--	126,567.93	447,732.07	490,658.08
3.	दृश्य-श्रव्य उपकरण	1,998,135.00	263,656.00	--	2,261,691.00	7.5%	213,851.00	169,628.00	--	383,479.00	1,878,212.00	1,784,284.00
4.	कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण	5,395,174.00	1,321,404.00	--	6,716,578.00	20%	2,152,378.00	1,341,760.00	--	3,494,138.00	3,222,440.00	3,242,796.00
5.	फर्नीचर, फिक्स्चर और फिटिंग	4,176,603.00	614,228.00	--	4,790,833.00	7.5%	491,158.00	359,314.00	--	850,472.00	3,940,359.00	3,685,445.00
6.	संयंत्र और मशीनरी	-	1,470,339.00	--	1,470,339.00	5%	-	73,517.00	--	73,517.00	1,396,822.00	-
7.	वाहन	7,333,774.00	673,183.00	193,034.00	7,813,923.00	10%	868,874.00	781,393.00	19,303.0	1,630,964.0	6,182,959.0	6,464,900.00

									0	0	0	
8.	पुस्तकालय की किताबें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएं	2,956,879.00	5,874,001.00	-	8,830,880.00	10%	335,175.00	883,086.00	-	1,218,261.00	7,612,619.00	2,621,704.00
9.	अन्य अचल संपत्ति	72,542.00	7,300.00	-	79,842.00	7.5%	19,628.00	11,944.00	-	31,572.00	48,270.00	52,914.00
	कुल योग - क	**23,044,718.00**	**10,373,411.00**	**193,034.00**	**33,225,095.00**		**4,217,877.00**	**3,697,847.00**	**19,303.00**	**7,896,421.93**	**25,328,673.07**	**18,826,840.08**
10.	कार्य प्रगति पर (वास्तुकार)	421,002.00	1,380,000.00		1,801,002.00						1,801,002.00	421,002.00
11.	कार्य प्रगति पर है (भवन निर्माण)	4,371,000.00	29,842,033.00		34,213,033.00						34,213,033.00	4,371,000.00
	कुल योग - ख	**4,792,002.00**	**31,222,033.00**		**36,014,035.00**						**36,014,035.00**	**4,792,002.00**
	कुल संपत्तियाँ					**मूल्यह्रास**						
	अमूर्त संपत्ति	**प्रारंभिक शेष**			**अंतिम शेष**	**दर**	**प्रारंभिक शेष**					
	संपत्ति का नाम					**एसएलएम के तहत**						
		1-4-2017	**जोड़**	**घटाव**	**31-3-2018**	**प्रणाली**	**1-4-2017**	**वर्ष के लिए ऋणमुक्ति**	**घटाव/ समायोजन**	**कुल ऋणमुक्ति / मूल्यह्रास**	**31-3-2018 पर**	**31-3-2017 पर**
12	ई-पत्रिकाएं	-	1,428,002.00	-	1,428,002.00	40%	-	571,201.00		571,201.00	856,801.00	-

13	सॉफ्टवेयर	3,125,450.00	26,216.00	-	3,151,666.00	40%	2,469,829.00	650,628.00	-	3,120,457.00	31,209.00	655,621.00
	कुल योग - ग	**3,125,450.00**	**1,454,218.00**	**-**	**4,579,668.00**		**2,469,829.00**	**1,221,829.00**	**-**	**3,691,658.00**	**888,010.00**	**655,621.00**
	कुल योग – क+ख+ग	30,962,170.00	43,049,662.00	**193,034.00**	73,818,798.00		6,687,706.93	4,919,676.00	**19,303.00**	11,588,079.93	62,230,718.07	24,274,463.08

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड
दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र (बैलेंस शीट) का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 6: अन्य निवेश

(रुपयों में)

विवरण	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
क. निवेश - दीर्घावधि निधि	–	–
क. बैंक मे दीर्घावधि जमा	178,600,000.00	–
	178,600,000.00	–
क. निवेश - अल्पवधि निधि	–	–
कुल	–	–
कुल योग	–	–
	178,600,000.00	–

संस्थान के शासी मंडल के लिए और ओर से

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र (बैलेंस शीट) का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 7: वर्तमान संपत्ति

(रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. बैंक शेष - क. शेडयूल्ड बैंक के साथ - बचत खातोंपर	142,250,587.73	142,250,587.73	125,078,963.55	125,078,963.55
कुल - क		**142,250,587.73**		**125,078,963.55**

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र (बैलेंस शीट) का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 8: ऋण, अग्रिम और जमा (रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. कर्मचारियों को अग्रिम				
क. टीए/डीए अग्रिम	97,216.00		18,730.00	
ख. अल्पकालिक अग्रिम	213,578.00	310,794.00	(1,561.000)	**17,169.00**
2.अग्रिम और अन्य राशियाँ नकद में या किफ़ायत में प्राप्त करने के लिए पुनर्प्राप्त करने योग्य				
क. राजस्व खाते पर	362,285.00		971,732.00	
ख. पूंजी खाते पर	242,117.00	604,402.00	884,253.00	**1,855,985.00**
3. वर्तमान संपत्ति				
क. आईआईएम कोझिकोड	-	-	49,574,365.00	49,574,365.00
4. प्राप्य	573,087.00	573,087.00	197,906.00	197,906.00
5. पूर्वदात व्यय				
क. बीमा	203,217.00		249,704.00	
ख. अन्य व्यय	-	203,217.00		249,704.00
6. जमा				
क. बीएसएनएल के पास जमा	22,310.00		22,310.00	
ख. किराये हेतु जमा	150,000.00		150,000.00	
ग. पीएसपीसीएल के पास जमा	695,218.00		228,173.00	
घ. आंतरिक कार्य विभाग, पीडब्लूडी के पास जमा	29,411,205.00	30,278,733.00	36,946,698.00	37,347,181.00
7. निवेश एवं निधि पर अर्जित आय				
संचित निधि निवेश	5,680,793.00	5,680,793.00	-	-
कुल योग (ख)		37,651,026.00		89,242,310.00

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 9: शैक्षणिक प्राप्तियां

(रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. शैक्षणिक – पीजीपी शिक्षा शुल्क		
1. शिक्षा	59,702,000.00	48,800,000.00
2. आईटी एवं संरचना	4,983,333.33	3,750,000.00
3. पुस्तकालय	4,983,333.33	3,750,000.00
4. किताबें एवं अध्ययन सामग्री	8,467,333.33	6,350,000.00
5. प्रवेश शुल्क	728,000.00	300,000.00
6. दिशानिर्देश	728,000.00	300,000.00
7. छात्र सहायता शुल्क	1,681,333.33	1,360,000.00
कुल (क)	**81,273,333.33**	**60,610,000.00**
ख. परीक्षा– पीजीपी		
1. परीक्षा शुल्क	1,395,333.33	1,045,000.00
कुल (ख)	**1,395,333.33**	**1,045,000.00**
ग. अन्य शुल्क– पीजीपी		
1. मेडिकल एवं छात्र कल्याण	996,666.67	745,000.00
2. छात्रावास (रुम किराया)	4,983,333.33	3,750,000.00
3. पूर्व-छात्र	953,333.33	1,050,000.00
4. पीजीपी विविध आय	120,817.00	879,400.00
कुल (ग)	**7,054,150.33**	**6,424,400.00**
कुल योग	**89,722,817.00**	**68,079,400.00**

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 10: अनुदान / सब्सिडी

(रुपयों में)

विवरण	योजना					कुल योजना	यूजीसी गैर-योजना	चालू वर्ष कुल	पिछला वर्ष
	भारत सरकार			यूजीसी					
				योजना	विशिष्ट योजना				
	ओएच'31	ओएच'35	ओएच'36						
अग्रेषित शेष	(18,285,763.45)	117,903,329.00	17,615,869.00	-	-	117,233,434.55	-	-	-
जोड़े: वर्ष मे प्राप्ति	67,000,000.00	50,000,000.00	52,000,000.00	-	-	169,000,000.00	-	-	-
जोड़े: अनुदान पर ब्याज	-	4,101,822.12	908,304.88	-	-	5,010,127.00	-	-	-
कूल - क	48,714,236.55	172,005,151.12	70,524,173.88	-	-	291,243,561.55			
कम: सी अँड एजी लेखा परीक्षकों की सलाह के अनुसार अंतर शीर्ष स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कम: लेखापरीक्षकों की सलाह के अनुसार अंतर शीर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-

स्थानांतरण									
कम: पूंजी व्यय के लिए उपयोग	-	(42,856,628.00)	-	-	-	(42,856,628.00)	-	-	-
शेष:	48,714,236.55	129,148,523.12	70,524,173.88	-	-	248,386,933.55	-	-	-
कम: राजस्व व्यय के लिए उपयोग	(87,661,209.77)	-	(1,339,368.00)	-	-	(89,000,577.77)	-	(89,000,577.77)	(56,297,416.45)
अग्रेनीत शेष	(38,946,973.22)	129,148,523.12	69,184,805.88	-	-	159,386,355.78	-	-	-

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड
दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31-03-2018 को आय-व्यय लेखा का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 12: अर्जित ब्याज

(रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. बचत खातो और अन्य खातों पर ब्याज 1) शेड्यूल बैंक / अन्य के साथ	1,465,734.00	1,023,545.00
कुल	**1,465,734.00**	**1,023,545.00**

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 13: अन्य आय

(रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) फॉर्म / कोटेशन की लागत	25,516.00	7,571.00
2) अतिथि गृह मे आवास	14,895.00	-
3) सुविधा शुल्क	10,170.00	-
4) अन्य आय	303,662.00	-
5) प्रायोजन आय	-	60,000.00
कुल	354,243.00	67,571.00

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड
दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 14: अन्य आय

(रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आईआईएमके से अर्जित ब्याज	–	2,593.00
कुल	--	2,593.00

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 15: कर्मचारी भुगतान और लाभ

(रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वेतन और मजदूरी (वेतन संशोधन बकाया शामिल है)	11,363,834.00	4,651,507.00
सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ	--	212,985.00
चिकित्सा व्यय	31,278.00	20,068.00
मानदेय	3,620,197.00	2,236,140.00
अन्य सुविधा भुगतान	2,214,053.00	98,550.00
कुल	**17,229,362.00**	**7,219,250.00**

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31-03-2018 को आय-व्यय लेखा का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 16: शैक्षणिक व्यय

(रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पीजीपी प्रत्यक्ष व्यय	30,280,501.05	23,261,309.00
अनुसंधान व्यय	--	386,922.00
कुल	**30,280,501.05**	23,648,231.45

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 17: प्रशासनिक और सामान्य व्यय

(रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बिजली और जल प्रभार	2,126,913.00	1,464,029.00
बिजली और जल प्रभार – अतिथि गृह	73,106.00	52,112.00
किराया, दरें और कर	19,336,861.00	13,873,684.00
डाक व्यय (सामान्य)	61,047.00	52,084.00
टेलीफोन व्यय (सामान्य)	695,201.00	363,261.00
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	270,423.00	178,554.00
ट्रैवलिंग और कन्वेन्स व्यय	983,548.00	1,031,722.00
आतिथ्य व्यय	83,351.00	107,555.00
मानदेय भर्ती व्यय	847,500.00	-
कानूनी / पेशेवर प्रभार	2,690,983.00	670,759.00
विज्ञापन और प्रचार (सामान्य)	522,822.00	784,011.00
वृत्तपत्र और पत्रिकाएँ	73,617.00	51,859.00
औषधालय व्यय (अन्य)	-	-
अन्य (प्रशासनिक व्यय)		
संस्थान कार्य	14,374.00	148,901.00
संस्थान सदस्यत्व	-	-
विविध व्यय (सामान्य)	4,517.00	25,387.00
शासी मंडल सभा व्यय	555,490.00	177,187.00
कुल	**28,339,753.00**	**18,981,105.50**

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 18: परिवहन व्यय

(रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वाहन चालु (पी.ओ.एल.) व्यय	1,057,345.00	808,428.00
वाहन रखरखाव व्यय	282,621.00	86,643.00
भर्ती पर टीए	365,259.00	-
परिवहन व्यय – सामान्य	3,700.00	-
वाहन बीमा	162,518.00	58,598.00
वाहन किराया खर्च	405,000.00	1,225.00
कुल	**2,276,443.00**	**954,894.00**

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 19: दुरुस्ती और रखरखाव

(रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
इमारत दुरुस्ती और रखरखाव	1,614,573.00	600,496.00
विद्युत दुरुस्ती और रखरखाव	46,092.00	106,015.00
डीजी सेट रखरखाव व्यय	425,314.00	174,965.00
उपभोग्य (आईटी) व्यय और अन्य रखरखाव	711,809.00	142,983.00
व्ही सैट और इंटरनेट खर्च	-	208,789.00
केबल खर्च (टीव्ही)	-	2,110.00
इंटरनेट खर्च – अतिथि गृह	870,463.00	3,431.00
सफाई उपभोग्य वस्तु	25,717.00	-
हॉस्टल अतिथि गृह व्यय	1,410,138.00	1,490,583.00
उपकरण का एएमसी	153,171.00	24,391.00
परिसर रखरखाव व्यय	1,798,914.00	1,485,166.00
बागवानी व्यय	91,243.00	104,795.00
कुल	**7,147,434.00**	**4,343,724.00**

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 20: वितीय लागत

(रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बैंक चार्ज	16,248.72	5,930.50
कुल	**16,248.72**	**5,930.50**

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 22: अन्य व्यय

(रुपयों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पूर्व अवधि व्यय	37.11	11.44
जीएसटी पर ब्याज	0.00	-
कुल	**37.11**	**11.44**

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31-03-2018 को समापन होने वाले वर्ष के लेखा का भाग होने वाली अनुसूची

अनुसूची 23 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा व्यवस्था

ऐतिहासिक लागत व्यवस्था के आधार पर, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, निम्नलिखित गोइंग कंसर्न अवधारणा और लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। जहाँ तक संभव हो लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति का पालन किया गया है और विचलन उसमें बताए गए अनुसार हैं।

2. राजस्व मान्यता और लेखा नीति में परिवर्तन

2.1. जब भी ब्याज बैंकों द्वारा जमा किया जाता है, तब बचत बैंक खाते पर ब्याज वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लिया जाता है।

2.2. आईआईएमके को भारत सरकार द्वारा 2014-15 के दौरान नए आईआईएम अमृतसर के लिए संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। आईआईएमके द्वारा सीधे 05.06.2017 तक अनुदान प्राप्त किया गया था और आईआईएम अमृतसर की ओर से आईआईएमके द्वारा कई भुगतान किए गए थे। आईआईएमके के शासी मंडल ने आईआईएम अमृतसर की ओर से आईआईएमके द्वारा रखे गए निधि पर 4% की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया। कुल ब्याज 65.25 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ब्याज 2.52 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 39.65 लाख रुपये और पिछली अवधि के लिए ब्याज 23.08 लाख रुपये) है। आईआईएमके और आईआईएमए दोनों के बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इस राशि का निपटारा किया गया।

3. व्यय

3.1. खर्चों का हिसाब लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर किया जाता है।

4. अचल संपत्तियां

4.1. संस्थान की अचल संपत्ति भारत सरकार और पंजाब सरकार से अनुदान से अर्जित की जाती है। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग की गई निधियां पूंजीगत निधि (स्थायी संपत्ति) के अंतर्गत तुलन पत्र की संगत अनुसूची 4 में दर्शाई गई हैं।

4.2. अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर आवक भाड़ा, शुल्क और करों और संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों सहित बताया गया है।

4.3. वर्ष के दौरान खरीदी/निर्मित और उपयोग में लाई गई अचल संपत्ति को पूंजीकृत किया गया है।

4.4. पीडब्ल्यूडी द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यय विवरण के आधार पर अचल संपत्ति अनुसूची और मूल्यह्रास विवरण में आवश्यक समायोजन किए गए हैं, जहां संपत्ति का उपयोग किया गया है।

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

4.5. पीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए कुछ काम आईआईएम अमृतसर के अस्थायी परिसर में लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी से उपयोग / पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण इसे पूंजीकृत नहीं किया गया है और यह राशि अभी भी ऋण, अग्रिम और जमा के तहत दिखाई गई है।

5. मूल्यह्रास

5.1. वर्ष के दौरान मूल्यह्रास दरें एमएचआरडी प्रारूप में निर्धारित दरों के अनुसार वसूल की जाती हैं। अचल संपत्तियों का मूल्यांकन लागत कम संचित मूल्यह्रास पर किया जाता है। अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

5.2. वर्ष के दौरान परिवर्धन पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

5.3. हालांकि कुल आवर्ती व्यय का पता लगाने के लिए मूल्यह्रास को आय और व्यय खाते में लिया जाता है, पूंजीगत निधि (अचल संपत्ति) से संबंधित राशि को कम कर दिया जाता है ताकि व्यय पर आय का अधिशेष मूल्यह्रास के प्रावधान को छोड़कर हो।

5.4. स्वयं के परिसर में जाने की स्थिति में कुछ संपत्तियों को वर्तमान लीज पर दिए गए परिसर से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। चूंकि बाहर जाने की तारीख को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, इस पर विचार किए बिना परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

6. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

6.1. संस्थान के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए संस्थान को भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

6.2. परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए प्राप्त योजना अनुदान को पूंजीगत निधि (सहायता अनुदान) के रूप में हिसाब में लिया जाता है, जहां से पूंजीगत व्यय का हिस्सा पूंजी निधि (स्थायी निर्धारण) में स्थानांतरित किया जाता है और शेष, यदि कोई हो, अगले वर्ष के दौरान, उपयोग/समायोजन के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

6.3. ओएच 31 और 36 के तहत प्राप्त योजना अनुदान को इस तरह के अनुदान से खर्च किए जा सकने वाले खर्चों की सीमा तक आय और व्यय खाते में जमा किया जाता है और शेष राशि को अनुसूची 3 भाग – ग में अप्रयुक्त अनुदान शेष के रूप में आगे बढ़ाया जाता है।

6.4. वर्ष 2015-16 के दौरान, कुछ आवर्ती खर्चों को ओएच35 के साथ-साथ ओएच36 के साथ समायोजित नहीं किया गया था और सीएजी द्वारा सलाह दी गई थी कि उक्त राशि को चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान के साथ समायोजित किया गया है।

6.5. सरकारी अनुदान को प्रोद्भवन के आधार पर इस शर्त के अधीन रखा जाता है कि अनुदान के लिए स्वीकृति आदेश बैलेंस शीट की तारीख को या उससे पहले प्राप्त हो जाते हैं।

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड
दिनांक: 27.08.2018

6.6. अनुदान राशि अलग खाते में नहीं रखी गई थी। इसलिए सरकारी निधियों पर ब्याज को सरकारी खाते में आनुपातिक आधार पर विभाजित किया गया है।

6.7. ओएच35 के संबंध में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतीकरण के लिए अपनाई गई पद्धति एएस 12 के अनुच्छेद 8.4 के अनुसार है।

6.8. सहायता अनुदान में शेष राशि को चालू वर्ष में अनुसूची 3 (3सी) के भाग के रूप में दिखाया गया है। पिछले वर्ष में इसे भाग अनुसूची 1 (संचित / पूंजी निधि) के रूप में दिखाया गया था। सीएंडएजी के सुझाव के अनुसार बदलाव किया गया है।

7. संचित निधि

7.1. व्यय से अधिक आय को संचित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान आईआईएम अमृतसर में प्रतिनियुक्त कर्मचारी को भुगतान किया गया वेतन ओएच 36 में डेबिट कर दिया गया है और बाकी कर्मचारियों को भुगतान किया गया वेतन ओएच 31 में डेबिट कर दिया गया है।

8. भूमि एवं भवन

8.1. संस्थान पंजाब सरकार द्वारा दिनांक 22.04.2015 के पत्र द्वारा आवंटित अस्थायी परिसर (पंजाब प्रौद्योगिकी संस्थान, अमृतसर भवन में) में अपनी गतिविधियों को चला रहा है।

8.2. संस्थान के पास पंजाब सरकार द्वारा बिना किसी मूल्य 60.70 एकड़ भूमि का आवंटन मिला है। हालांकि खातों में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है। जमीन को भी अचल संपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है।

9. विदेशी मुद्रा व्यवहार

9.1. विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्ग के लेन-देन का हिसाब व्यवहार की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन एफएओ	श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई सीएफओ	प्रो. सी. राजू नोडल प्रोफेसर	प्रो. देबशिश चैटर्जी निदेशक – आईआईएमके संरक्षक निदेशक, आईआईएम अमृतसर

स्थान: कोझीकोड
दिनांक: 27.08.2018

अनुसूची 24 - आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिपणी

1. आकस्मिक देयताएं

संस्थान के दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	- रु. शून्य	(पिछले वर्ष शून्य)
के संबंध में		
संस्थान द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी	- रु. शून्य	(पिछले वर्ष शून्य)
संस्थान की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र	- रु. शून्य	(पिछले वर्ष शून्य)
बैंकों के साथ छूट किए गये बिल	- रु. शून्य	(पिछले वर्ष शून्य)
निम्न के संबंध में विवादित मांग		
आयकर	- रु. शून्य	(पिछले वर्ष शून्य)
बिक्री कर	- रु. शून्य	(पिछले वर्ष शून्य)
सेवा कर	- रु. शून्य	(पिछले वर्ष शून्य)
नगर कर	- रु. शून्य	(पिछले वर्ष शून्य)
आदेशों के निष्पादन के लिए पक्षकारों के दावों के संबंध में, लेकिन संस्थान द्वारा प्रतिवादित किया गया	- रु. शून्य	(पिछले वर्ष शून्य)

2. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम

प्रबंध की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का व्यवसाय के सामान्य रूप में वसूली पर कम से कम बैलेंस शीट में दिखाई गई कुल राशि के बराबर मूल्य है।

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड
दिनांक: 27.08.2018

3. विदेशी मुद्रा व्यवहार

क) सीआईएफ आधार पर परिकलित आयात का मूल्य	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत सामान / उपकरण	शून्य	शून्य
ख) विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य	शून्य
ग) अन्य व्यय		
पुस्तकों, पत्रिकाओं और मामलों आदि की खरीद	यूएसडी 2963.33	यूएसडी 3083.87
सॉफ्टवेयर, सीडी रोम, सिमुलेशन	यूएसडी 32609.40	यूएसडी 15448.17

4. कर

संस्थान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23C) (iii एबी) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है, और इसलिए, खातों में आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

5. अनुसूचियां 1 से 23 संलग्न हैं और 31-03-2018 को बैलेंस शीट और उस दिन समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का एक अभिन्न भाग

6. पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों को चालू वर्ष के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन एफएओ	श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई सीएफओ	प्रो. सी. राजू नोडल प्रोफेसर	प्रो. देबशिश चैटर्जी निदेशक – आईआईएमके संरक्षक निदेशक, आईआईएम अमृतसर

स्थान: कोझीकोड

दिनांक: 27.08.2018

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाता (राशि लाख में)

प्राप्तियां	2017-18	2016-17	भुगतान	2017-18	2016-17
I. प्रारंभिक शेष			I. व्यय		
क) नकद शेष	-	-	क. आस्थापना व्यय	17,229,362.00	7,219,250.00
ख) बैंक शेष			ख. शैक्षणिक व्यय	30,280,501.05	23,648,231.45
i. बचत खाते	125,078,963.55	8,104,243.00	ग. प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	28,339,753.00	18,981,105.50
			घ. परिवहन व्यय	2,276,443.00	954,894.00
			ङ. दुरुस्ती और रखरखाव	7,147,434.00	4,343,724.00
			च. पूर्व अवधि के व्यय	3,710,618.00	1,144,281.00
			छ. वित्तीय खर्च	16,466.72	5,930.50
II. प्राप्त अनुदान			**II. निर्धारित / दान निधि के लिए भुगतान**	-	-
क) भारत सरकार से	174,010,127.00	130,970,555.00			
III. शैक्षणिक प्राप्तियां	89,722,817.00	68,079,400.00	**III. प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के लिए भुगतान**	–	–
IV. निर्धारित / दान निधि की प्राप्तियां	-	-	**IV. प्रायोजित फैलोशिप और छात्रवृत्ति के लिए भुगतान**	–	–
V. प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के लिए प्राप्तियां	-	-	**V. किए गए निवेश और जमा**		
			क. निर्धारित / दान निधि है तो, बाहर	–	–
			ख. स्वयं के निधिसे (निवेश, अन्य)	178,600,000	–
VI. प्रायोजित फैलोशिप और छात्रवृत्ति से प्राप्तियां			**VI. शेड्युल्ड बैंकों में सावधि जमा**		
VII. निवेश से प्राप्तियां			**VII. अचल संपत्ति एवं पूंजी**	–	–

			कार्य -प्रगति पर व्यय		
क) निर्धारित / दान निधि		-	क) अचल संपत्ति	11,634,595.00	11,721,141.00
ख) अन्य निवेश			ख) चालू पूंजी कार्य	31,222,033.00	4,371,000.00
VIII. निम्न पर अर्जित ब्याज			**VIII. वैधानिक व्यय सहित अन्य व्यय**	–	–
क) बैंक जमा और बचत	5,998,399.00				
ख) ऋण और अग्रिम					
ग) बचत खाता	1,465,734.00	1,023,545.00			
IX. निवेश नक़द			**IX. अनुदान की वापसी**		
X शेड्यूल बैंक के सावधि जमा की नकद			**X जमा एवं अग्रिम**		
XI पूर्वअवधि आय के साथ अन्य आय	354,243.00	70,164.00	**XI पूर्वअवधि व्यय के साथ अन्य व्यय**		
XII जमा एवं अग्रिम	51,591,284.00	(13,434,369.00)	**XII अंतिम शेष**		
			क) रोकड शेष		
			ख) बैंक शेष	142,250,587.73	125,078,963.00
			i) बचत खाता		
XIII वैधानिक प्राप्तियों सहित विविध प्राप्तियां	4,486,225.95	2,654,983.00			
XIV अन्य प्राप्तियाँ					
कुल	**452,707,793.50**	**197,468,521.00**	**कुल**	**452,707,793.50**	**197,468,521.00**

डॉ. लक्ष्मी विश्वनाथन
एफएओ

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

स्थान: कोझीकोड

जीएफआर 12-ए

(नियम 238(1) देखें)

अनुदानग्राही संगठन के स्वायत्त निकायों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रपत्र

भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर

आवर्ती / अनावर्ती के संबंध में वर्ष 2017-18 के लिए

उपयोगिता प्रमाण पत्र

सहायता अनुदान / वेतन / पूंजीगत संपत्ति का निर्माण

1. योजना का नाम: सहायता अनुदान योजना
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान: आवर्ती और अनावर्ती दोनों
3. वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अनुदान की स्थिति

i. हाथ / बैंक में नकद: रु.78163878.55 / -

ii. असमायोजित अग्रिम: रु.39069556/-

iii. कुल: रु.117233434.55/-

1. प्राप्त अनुदान, किए गए व्यय और अंतिम शेष का विवरण: (वास्तविक)

प्राप्त अनुदानों की अव्ययित शेष राशि (क्रमांक 3 (iii) के अनुसार)	उस पर अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध निधि (1+2+3+4)	किया हुआ व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2	3	4					
			स्वीकृति संख्या (i)	तिथि (ii)	राशी (iii)			
			फा.सं.20/42017-टीएस.व्ही	27 अप्रैल 2017	4,35,00,000.00			
			फा.सं.20/42017-टीएस.व्ही	29 मई 2017	3,45,00,000.00			
			फा.सं.20/42017-टीएस.व्ही	27 जून 2017	1,20,00,000.00			

			फा.सं.20/4201 7-टीएस.व्ही	23 नवंबर 2017	2,80,00,000.00			
			फा.सं.20/4201 7-टीएस.व्ही	19 दिसंबर 2017	1,40,00,000.00			
			फा.सं.20/4201 7-टीएस.व्ही	07 मार्च 2018	3,70,00,000.00			
					169,000,000.00	**291,243, 561.55**	**131,857, 205.77**	**159,38 6, 355.78**

अनुदानों का घटक-वार उपयोग

अनुदान – सामान्य	**अनुदान – वेतन**	**अनुदान – पूंजी संपत्ति निर्माण**	**कुल**
87,661,209.77	1,339,368.00	42,856,628.00	131,857, 205.77

वित्तीय वर्ष की अंत में अनुदान की स्थिति

i. हाथ / बैंक में नकद: रु.132,549,051.78/ -

ii. असमायोजित अग्रिम: रु. 2,68,37,304/ -

iii. कुल: रु. 159,386,355.78/ -

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने स्वयं संतुष्ट हूं कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किया गया था, उन्हें विधिवत पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और यह कि मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जांच की है कि निधि का उपयोग वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था:

i. मुख्य खाते और अन्य सहायक खाते और पंजीकृत (संपत्ति रजिस्टर सहित) संबंधित अधिनियम / नियमों / स्थायी निर्देशों में निर्धारित किए गए हैं और नामित लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। ऊपर दर्शाए गए आंकड़े वित्तीय विवरणों/खातों में उल्लिखित लेखापरीक्षित आंकड़ों से मेल खाते हैं।

ii. सार्वजनिक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं, वित्तीय निवेशों के साथ भौतिक लक्ष्यों के परिणामों और उपलब्धियों को देखना, परिसंपत्ति निर्माण आदि में गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।

iii. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम/नियमों/स्थायी निर्देशों और योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है।

iv. योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख पदाधिकारियों के बीच उत्तरदायित्व स्पष्ट शब्दों में सौंपे गए हैं और प्रकृति में सामान्य नहीं हैं।

v. लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचाए गए थे और केवल ऐसे क्षेत्रों / जिलों को कवर किया गया था जहाँ योजना का संचालन करना था।

vi. योजना के विभिन्न घटकों पर व्यय योजना के दिशा-निर्देशों और सहायता अनुदान के नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।

vii. यह सुनिश्चित किया गया है कि भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन/लक्ष्य प्राप्त विवरण जिसके लिए निधि के उपयोग के परिणाम अनुलग्नक-I में दिए गए हैं जो विधिवत संलग्न किया है।

viii. निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप अनुलग्नक-II में दिए गए हैं जो विधिवत संलग्न किया है।

दिनांक: 29.08.2018

स्थान: कोझीकोड

श्री. के. रामा सुब्रमोनिया पिल्लई
सीएफओ

प्रो. देबशिश चैटर्जी
निदेशक – आईआईएमके
संरक्षक निदेशक, आईआईएम अमृतसर

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), चंडीगढ़

स.:पीडीए (सी) / के व्यय / एसएआर आईआईएम अमृतसर / 2018-19/2020-21/10 दि. 26.05.2020

सेवा मे,

सचिव,
उच्चतर शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
कमरा न. 127, सी विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001

विषय: भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर के वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृपया, भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर के वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संलग्न पायें। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएँ। कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

हस्ता

प्रधान निदेशक

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

उपरोक्त की प्रतिलिपी वर्ष 2017-18 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर, पंजाब तकनीकी संस्थान भवन, सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान परिसर, पॉलिटेक्निक रोड, पो.ऑ. छहरता, जीटी रोड, अमृतसर – 143105 को प्रेषित की जाती है

उप निदेशक

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान, अमृतसर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2018 को भारतीय प्रबंध संस्थान, अमृतसर की उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते और प्राप्ति और भुगतान खाते की लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2), के साथ पठित भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 23(3) के तहत इसकी लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंध का दायित्व हैं। हमारा दायित्व है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करें।

2. प्रस्तुत स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां केवल वर्गीकरण के संबंध में, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में वित्तीय व्यवहार पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों, कानून, नियमों और विनियमों (उचितता और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं, आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन की रिपोर्ट अलग से निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है, इन सबके संबंध में हैं।
3. हमने भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा का कार्यान्वय किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंध द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:
   i) जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण हमने प्राप्त कर ली हैं;
   ii) इस रिपोर्ट द्वारा बैलेंस शीट और आय और व्यय खाते / प्राप्ति और भुगतान खाते को
   iii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश संख्या 29-4/2012-एफडी दिनांक 17 अप्रैल 2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है।

iv) हमारी राय में, जहां तक कि ऐसी लेखाओं की हमारे परीक्षण से पता चलता है, भारतीय प्रबंध संस्थान, अमृतसर द्वारा उचित लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का उचित रखरखाव किया गया है।

v) हम आगे सूचित करते हैं कि

क. बैलेंस शीट

क.1. निधियों का अनुप्रयोग

अचल संपत्तियां (अनुसूची 4):

मूर्त संपत्ति: ₹.2.53 करोड़

क.1.1. ₹.64.81 लाख रुपये के डेटा बेस/ई-जर्नल के संबंध में (₹.24.10 लाख रुपये की अवधि 2016-17 से संबंधित है + ₹.40.71 रुपये की अवधि 2017-18 से संबंधित है) जिन्हें अमूर्त संपत्ति के तहत ई-जर्नल के तहत दर्ज किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पुस्तकालय की पुस्तकों के शीर्षक को ₹.55.29 लाख (केवल), ई-जर्नल्स को ₹.29.25 लाख (शुद्ध) से कम और मूल्यह्रास को ₹.26.67 लाख से कम बताया गया है।

क.1.2. चालू पूंजीगत कार्य: ₹ 3.60 करोड़

ऊपरोक्त में तीन कार्यों पर किए गए व्यय के कारण ₹5.19 लाख शामिल हैं जो पहले ही पूरे हो चुके हैं लेकिन पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत दिखाए गए हैं। तीन कार्यों में से दो कार्य स्थायी परिसर से संबंधित हैं:- आधारशिला रखने का कार्य (₹ 1.42 लाख) और डिजिटल सर्वेक्षण आदि का कार्य (₹ 2.26 लाख) जो कि हेड साइट विकास के तहत बुक किया जाना चाहिए था और तीसरा कार्य अस्थायी परिसर में गेट के निर्माण (₹ 1.51 लाख) से संबंधित है जिसे व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप प्रगति पर पूंजीगत कार्य को ₹5.19 लाख से अधिक बताया गया है, अचल संपत्तियों के तहत साइट विकास इस शीर्ष को ₹3.68 लाख (₹1.42 लाख + ₹2.26 लाख) से कम करके और दुरुस्ती और रखरखाव के तहत खर्च को ₹1.51 लाख से कम करके दिखाया गया है।

ख. आय और व्यय खाता

व्यय

दुरुस्ती और गैर रखरखाव (अनुसूची 19) : ₹71.47 लाख

परिसर रखरखाव व्यय: ₹17.99 लाख

ऊपरोक्त में पारगमन परिसर में छोटे कार्यों के लिए ₹13.55 लाख जोड़े नहीं थे, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूरे किए गए हैं जो कि चालू पूंजीकार्य के तहत अनुचित तरीके से दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप दुरुस्ती और रखरखाव शीर्ष

के अंतर्गत व्यय को कम बताया गया है तथा चल रहे पूंजीगत कार्य को ₹13.55 लाख से अधिक बताया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची 23)

संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखों में मार्च 2017 से फरवरी 2018 की अवधि के वेतन, भत्तों एवं मानदेय के व्यय को लेखा में दर्ज किया है और मार्च 2018 के महीने के लिए इस तरह के खर्च को, जो कि अनुसूची 23 के क्रम 3.1 में बताई गई लेखा नीति का विचलन है, जिसमें कहा गया है कि खर्चों का हिसाब लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर किया जाता है, वैसे दर्ज नहीं किया गया है।

घ. साधारण

घ.1: 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव भारतीय प्रबंध संस्थान, अमृतसर के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव निम्नानुसार है:

i. संपत्ति ₹41.73 लाख से अधिक बताई गई है।

ii.संचित/पूंजी निधि को ₹41.73 लाख से अधिक बताया गया है, इसके अलावा अधिशेष को भी ₹41.73 लाख से अधिक बताया गया है।

घ.2: संस्थान ने ऋण, अग्रिम और जमा के तहत दो एजेंसियों अर्थात पीडब्ल्यूडी (पंजाब) और सीपीडब्ल्यूडी को "जमा + प्रवेश कार्य प्रभाग पीडब्ल्यूडी" शीर्ष के तहत दिए गए अग्रिमों को शामिल किया है। दोनों एजेंसियों के अग्रिमों के जोड़ के कारण, प्रत्येक एजेंसी के लिए बकाया राशि की सूचना नहीं दी गई थी और इन एजेंसियों की लेखा पुस्तकों के अनुसार शेष राशि के साथ जोड़ा भी नहीं किया गया था।

घ.3: समेकित बैलेंस शीट ₹17.15 करोड़ की वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को दर्शाती है, जो अनुसूची 3 - "वर्तमान देयताएं और प्रावधान" वर्तमान देनदारियों और ₹1.21 करोड़ के प्रावधानों को दर्शाती है जिसमें ₹15.94 करोड़ (17.15 करोड़ - 1.21 करोड़) की अनुसूची 3 सी के अनुसार अनुदान शेष शामिल नहीं था।

ङ. अनुदान

ङ.1. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र फा.सं. 23011/02/2018-1 दिनांक 25.10.2018 में कहा गया है कि -

- संस्थानों को जारी अनुदान के अनुसार खर्च वहन करने की आवश्यकता होती है

- अनुदान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों को अनुदान प्रदान करते समय न केवल आंतरिक रूप से निर्मित संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए बल्कि अनुदानग्राही संस्थानों द्वारा आंतरिक संसाधन निर्माण (आईआरजी) के लिए लक्ष्य निर्धारित करने पर भी विचार करना चाहिए;

- अनुदान जारी करना संभव नहीं था इस कारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कोई अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए; तथा

-तदनुसार, यह सलाह दी जाती है कि खाता पुस्तकों में आईआरजी से खर्च की गई निधि के अनुरूप ऋणात्मक शेष न दिखाएं, इसके जगह आईआरजी / संचित को इससे किए गए व्यय के अनुरूप डेबिट किया जाना चाहिए।

उपलब्ध निधियों में से ₹29.12 करोड़ (ओएच 31: ₹4.87 करोड़, ओएच 36: ₹6.96 करोड़, ओएच 35: ₹16.79 करोड़ और ₹0.50 करोड़ के अनुदान पर ब्याज) पिछले वर्ष की शेष राशि सहित ₹11.72 करोड़ (ओएच 31: (-)₹1.83 करोड़, ओएच 36: ₹1.76 करोड़ और ओएच 35: ₹11.79 करोड़), वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान ₹16.90 करोड़ (ओएच 31: ₹6.70 करोड़, ओएच 36: ₹5.20 करोड़ और ओएच 35: ₹5.00 करोड़) और वर्ष के दौरान अनुदान पर ब्याज ₹0.50 करोड़, संस्थान ने ₹9.29 करोड़ (ओएच 31: ₹4.87 करोड़*, ओएच 36: ₹0.13 करोड़ और ओएच 35: ₹4.29 करोड़) तथा ₹19.83 करोड़ (ओएच 31: ₹शून्य, ओएच 36: ₹6.83 करोड़ और ओएच 35: ₹12.50 करोड़ और अनुदान पर ₹0.50 करोड़) की अव्ययित शेष राशि छोड़कर की राशि का उपयोग किया।

अनुसूची 3 सी के अनुसार शेष राशि ₹15.94 करोड़ थी, जिसे एमएचआरडी के दिशानिर्देश के अनुसार आईआरजी / संस्थान के संचित निधि के लिए ₹3,89 करोड़ के नकारात्मक शेष को डेबिट करने के बजाय, ₹3.89 करोड़ के आपत्ती शीर्ष 31 के तहत ऋणात्मक शेष को घटाकर निकाला गया था।

ङ.2. सामान्य वित्तीय नियम 230 (8) (जीएफआर 2017) में प्रावधान है कि, किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के खिलाफ सभी ब्याज या अन्य कमाई अनिवार्य रूप से खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद भारत की संचित निधि में भेज दी जानी चाहिए। हालांकि, संस्थान ने सामान्य वित्तीय नियम 230 (8) के अनुसार भारत की संचित निधि में ₹0.50 करोड़ की ब्याज आय की राशि प्रेषित नहीं की है।

च. प्रबंध पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई कमियों को उपचारात्मक / दोषनिवारक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंध पत्र के माध्यम से संस्थान के प्रबंध के ध्यान में लाया गया है।

---

* आपत्ती शीर्ष 31 के अंतर्गत वास्तविक व्यय ₹876.61 लाख था, जो ओएच-31 के तहत उपलब्ध निधि की सीमा तक ₹487.14 लाख तक सीमित था और ₹389.47 के

अतिरिक्त व्यय को संस्थान द्वारा एमएचआरडी दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक संसाधनों से पूरा करने की आवश्यकता थी।

छ. पिछले अनुच्छेदों में हमारे अवलोकन के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा परिक्षित किए गए बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते और प्राप्ति और भुगतान खाते यह खाता पुस्तकों के अनुरूप हैं।

ज. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं, और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इसके साथ अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत वर्ष में सामान्यत: पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक उचित और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करती है:

क. जहां तक यह 31 मार्च 2018 को भारतीय प्रबंध संस्थान, अमृतसर के मामलों की स्थिति के बैलेंस शीट से संबंधित है; तथा

ख. जहां तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष का यह आय और व्यय खाते से संबंध है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के
लिए और उनकी ओर से

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)
चंडीगढ़

स्थान: चंडीगढ़
दिनांक:

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

   संस्थान ने सनदी लेखाकार की एक फर्म के माध्यम से वर्ष 2017-18 के लिए अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा पूर्ण की है। संस्थान आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली और आंतरिक लेखा परीक्षा के दायरे के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा को सौंपे गए किसी भी दस्तावेज / अभिलेख का प्रस्तुत नहीं कर सका।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

   आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित कमियों के कारण अपर्याप्त पाई गई:

   i) बिना किसी डीडीओ अधिकार के नोडल अधिकारी को छोड़कर आईआईएम अमृतसर में कोई नियमित कर्मचारी नहीं है, आईआईएम कोझीकोड में वित्तीय खातों को संकलित किया जाता है। सभी वित्तीय लेनदेन आईआईएम कोझीकोड में संरक्षक संस्थान होने के नाते किए जा रहे हैं।

   ii) संस्थान ने टीए/एलटीसी रजिस्टर, अग्रिम रजिस्टर, मेडिकल प्रतिपूर्ति रजिस्टर और व्यय नियंत्रण रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया है।

   iii) संस्थान में भर्ती नीति और नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

   वर्ष 2017-18 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया था।

4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

   स्टॉक के संबंध में निर्धारित प्रारूप (पृष्ठ 46) में दी गई लेखा नीति के अनुसार, "रसायन, कांच के बने पदार्थ, प्रकाशन और अन्य स्टोर की खरीद पर व्यय को राजस्व व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है, इसके अलावा कि 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक सहायता का मूल्य है विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित राजस्व व्यय को कम करके सूची के रूप में स्थापित किया गया। उनका लागत अनुसार मूल्य होता हैं"।

   हालांकि, बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार इन्वेंट्री के अंतिम शेष को दिखाने के लिए संस्थान द्वारा वस्तुसूची (इन्वेंट्री) का ऐसा कोई सत्यापन नहीं किया गया है।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

   वैधानिक बकाया जमा करने में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

उप निदेशक